न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2023/00075
मिसल नम्बर– 22/2018
राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

प्रार्थीया।

बनाम

गौत्तमचन्द भण्डारी (मृतक) जर्ये कायम मुकामान जितेन्द्र भण्डारी निवासी कुन्हाडी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा वगै0

अप्रार्थी।

(–:निर्णयः–)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

दिनांक– 31/1/25

उपस्थिति–
1.श्री नेरन्द्र गुप्ता अप्रार्थी अधिवक्ता
2.सरकार पैरोकार

प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस बाबत् प्रस्तुत किया गया कि अप्रार्थीगण के खाते जमाबंदी संवत् 2033 से 2037 के अनुसार ग्राम कुन्हाडी में खसरा नम्बर मिन 47 रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 47/352 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 47/353 रकबा 03 बिस्वा, कुल किता 03 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा आराजी स्थित थी। दौराने सेटलमेंट उक्त नम्बरों के नए नम्बर खसरा नम्बर 78 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 84 रकबा 2.84 है0 बनाये गये। जबकि सेटलमेंट पूर्व के रकबे 15 बीघा 16 बिस्वा का मैट्रिक प्रणाली के अनुसार 2.52 है0 बनता है। भू प्रबंध विभाग द्वारा प्रार्थीगण के खाते 0.37 है0 रकबा अधिक दर्ज किया गया है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 78 रकबा 0.05 है0 में से 0.03 है0 व खसरा नम्बर 84 रकबा 2.84 है0 में से 0.34 है0 कुल 0.37 है0 भूमि वाके ग्राम कुन्हाडी को राजकीय सिवायचक दर्ज किया जावें। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल मिलान क्षेत्रफल 2038 से 2057 जमाबंदी संवत् 2030 से 2033 जमाबंदी संवत् 2038 से 2057 संलग्न किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि पूर्व खसरा नम्बर 47 का रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा था जिसमें से 06 बिस्वा भूमि नहर में चली गई तथा खसरा नम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

47/352 व खसरा नम्बर 47/353 की कुल 06 बिस्वा भूमि किस्म बदल कर पूर्वत खातेदार के नाम दर्ज कर दी गई। प्रतिवादी द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि प्रतिवादीगण की मौके पर पूरी भूमि है वास्तव में प्रतिवादीगण की भूमि में कुछ भूमि पडौसी काष्तकार मोहन लाल की व कुछ भूमि गजेन्द्र सिंह की मिला दी गई है तथा प्रतिवादीगण द्वारा पडौसी काष्तकार लक्ष्मण सिंह से 07 बिस्वा भूमि काफी अरसा पूर्व खरीदी गई है जो भी प्रतिवादीगण की भूमि में सम्मिलित कर दी गई है। प्रतिवादीगण की भूमि में कोई भी सरकारी भूमि शामिल नही है। प्रतिवादीगण का रकबा दुरूस्ती हेतु मोहन लाल के विरूद्व वाद पृथक से जैरकार है।

प्रतिवादी द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि इन्ही आधारों पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा इन्ही नम्बरान के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्व सम्मानीय न्यायालय जिला कलक्टर में रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया था जिस पर तत्कालीन जिलाधीष महोदय ने दानो पक्षों की बहस सुनकर संबंधित तथ्यों पर पूर्णतया विचार कर राज्य सरकार का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया था।

प्रतिवादीगण द्वारा अन्त में निवेदन किया गया है कि हाल खसरा नम्बर 78 की 0.5 है0 भूमि गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो रही है। अतः खसरा नम्बर 78 की 0.5 है0 भूमि को सिवायचक दर्ज करने में हमें कोई आपत्ति नही है।

उक्त प्रकरण पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र खेडारसूलपुर पर दिनांक 18.05.2018 को तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम कुन्हाडी तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 78 की रकबा 0.05 में से 0.03 तथा खसरा नम्बर 84 की 2.84 में से 0.34 है0 भूमि को अधिषेष घोषित कर राजकीय सिवायचक दर्ज करने का आदेष पारित किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 18.05.2018 के विरूद्व प्रतिवादीगण द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा में प्रस्तुत की गई। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 30.10.2018 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का निर्णय 18.05.2018 अपास्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देष के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजात का समुचित परीक्षण कर पुनः विधि सम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित किया जावें।

रिमाण्ड प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादीगण द्वारा पुनः जवाब प्रस्तुत कर निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली है।

1. नकल फैसला दिनांक 17.06.2002
2. नकल फैसला दिनांक 24.12.2002
3. नकल फैसला दिनांक 11.11.1992
4. नकल फोटोकॉपी इकरार नामा बाबूलाल सोमानी 01.02.1985

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

5. नकल फोटोकॉपी इकरार नामा लक्ष्मण सिंह 16.06.2006
6. नकल फोटोकॉपी खसरा किष्तवार संवत् 2010 से 2013

बहस वकुलाय फरीकेन सुनी गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया। तथा बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.10.2018 के बिन्दु संख्या 05 में निम्न ऑर्ब्जवेषन दिया गया है – "तहसीलदार लाडपुरा द्वारा विवादित आराजी के इन्द्राज दुरूस्ती बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट दिनांक 18.05. 2018 को केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र खेडा रसूलपुर में स्वीकार कर विवादित आराजी ग्राम कुन्हाडी तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 78 की रकबा 0.05 है0 में से 0.03 है0 तथा खसरा नम्बर 84 की 2.84 है0 में से 0.34 है0 भूमि अधिषेष घोषित कर राजकीय सिवायचक दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का तहसीलदार लाडपुरा को आदेष पारित किया है। प्रष्नगत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब एवं राजस्व रिकॉर्ड का निर्णय दिनांक 18.05.2018 में उल्लेख नही किया तथा न ही जवाब एवं दस्तावेजों पर कोई गोर किया गया जिससे यह स्पष्ट था कि विवादित भूमि के आस पास कोई सरकारी भूमि नही थी न ही सरकारी भूमि को अपीलांट की भूमि में सम्मिलित किया गया था तथा विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में सरकार द्वारा रेफरेंस की कार्यवाही की गई थी जिसे तत्कालीन जिला कलक्टर ने दोनो पक्षों को सुनकर दिनांक 17.06.2002 को सरकार का रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था किन्तु फिर उन्ही तथ्यों पर राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा ने पुनः धारा 136 एलआरएक्ट बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही कर विधिक त्रुटि की है। अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा प्रष्नगत धारा 136 एलआरएक्ट की कार्यवाही में दिनांक 03.08.2004 को प्रार्थना पत्र का बिन्दुवार जवाब पेष कर वर्णित किया गया था कि पूर्व में खसरा नम्बर 47 का रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा था जिसमें से 06 बिस्वा नहर में चली गई, तथा खसरा नम्बर 47/352 व खसरा नम्बर 47/353 का कुल 06 बिस्वा किस्म बदल कर पूर्ववत खातेदार के नाम दर्ज कर दिया गया। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि के आस पास कोई सरकारी भूमि ही नही है और न ही सरकारी भूमि अपीलांट की भूमि में सम्मिलित की गई है। जवाब में यह तथ्य भी वर्णित किया जाना प्रकट होता है कि न्यायालय जिला कलक्टर कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 1/98 (रेफरेंस) कार्यवाही अन्तर्गत धारा 82 एलआरएक्ट सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा बनाम गौतमचन्द भण्डारी वगैरह में दिनांक 17.06.2002 को पारित निर्णय अनुसार रेफरेंस कार्यवाही खारिज की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय में उक्त तथ्यों का समुचित परीक्षण कर विवेचना किये बगैर ही जैर अपील निर्णय पारित किया जाना प्रकट होता है जिससे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजात का समुचित परीक्षण नही किया गया। यहां यह तथ्य भी विवेचनीय है कि धारा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

136 एलआरएक्ट की कार्यवाही में पक्षकारान के आपसी सहमति से ही लिपिकीय त्रुटि सही की जा सकती है। प्रष्नगत कार्यवाही में उक्त कानूनी प्रावधान का अभाव रहा है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेष विधि के प्रतिकूल होना प्रकट होता है।''

प्रतिवादी के कथन है कि उसके द्वारा 07 बिस्वा भूमि काफी अरसा पूर्व लक्ष्मण सिंह से क्रय की गई थी के संबंध में पत्रावली में संलग्न राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय 24.12.2002 में स्पष्टतया अंकित किया गया है कि प्रतिवादी के अभिभाषक द्वारा ओल्ड सीलिंग कानून के तहत वादी द्वारा रिटेन की गयी 30 स्टेन्डर्ड एकड भूमि में विवादास्पद आराजी खसरा नम्बर 120 की शामिल नही होने का तर्क व तथ्य जो दिया गया है वह सही है। यह भूमि गजेन्द्र सिंह वादी ने रिटेन नही की बल्कि लक्ष्मण सिंह (वादी का भाई) ने रिटेन की एवं यह भी पाया जाता है कि लक्ष्मण सिंह द्वारा यह 7 बिस्वा भूमि इकरारनामा बेचान से प्रतिवादी को बेचान कर दी गई है। इस बाबत् पत्रावली में दस्तावेजी साक्ष्य भी उपलब्ध है। इस प्रकार प्रकरण में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत की गई उच्चतर न्यायालयों की नजीर/निर्णय के आधार पर विवादित आराजी माफी रिज्यूम की होने से इस पर दावा नही लाया जा सकता। साथ ही वादी का भूमि में राइटस समाप्त हो जाने के कारण वादी का दावा सारहीन है बल्कि वादी दावा लाने का हक नही रखता। साथ ही प्रतिवादी के पक्ष में विवादास्पद आराजी 7 बिस्वा का इकरारनामा बेचान रिकॉर्ड पर मौजूद है एवं प्रतिवादी इस 7 बिस्वा भूमि पर ट्रेसपासर नही है। अतः प्रतिवादी को विवादग्रस्त आराजी 7 बिस्वा पूर्व खसरा नम्बर 120 की जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 251 है, से बेदखल नही किया जा सकता।

उक्त टिप्पणी से यह प्रमाणित होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा लक्ष्मण सिंह से 7 बिस्वा भूमि क्रय की गई थी।

प्रतिवादी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि प्रष्नगत भूमियों के संबंध में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर कोटा में रेफरेंस प्रस्तुत किया गया था जिसे जिला कलक्टर महोदय कोटा द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त संदर्भ में पत्रावली में संलग्न जिला कलक्टर महोदय कोटा के निर्णय 17.06.2002 का अवलोकन किया गया। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय कोटा के न्यायालय में रेफरेंस कार्यवाही खसरा नम्बर 78, 84, 249, 250 व 84/442 के संबंध में की गई थी। हस्तगत प्रकरण भी खसरा नम्बर 78 व 84 से संबंधित है जो पूर्णतया श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय कोटा के न्यायालय में प्रस्तुत रेफरेंस से प्रभावित है श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय कोटा द्वारा अपने निर्णय 17.06.2002 में अंकित किया है कि इस मामले में राज्य सरकार का कोई हित प्रतीत नही होता है क्योंकि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह नही दर्षाया गया है कि किसी राजकीय भूमि को प्रतिपक्षीगण के खाते दर्ज कर दिया हो। यह भी नही बताया गया है कि कौन से खसरा नम्बर में से भूमि कम होगी व कौन से नम्बर में बढेगी तथा वह भूमि किसके खातेद में दर्ज होनी चाहिए। प्रस्तुत मामला पडौसी काश्तकारों मे आपसी विवाद का प्रतीत होता है। राज्य सरकार का कोई हित प्रस्तुत मामले में नही होने से रेफरेन्स का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। यदि फिर

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

भी तहसीलदार लाडपुरा की जानकारी में यह आये कि कोई सरकारी भूमि में कमी करके प्रतिपक्षीगण के खाते वह भूमि दर्ज कर दी गई है तो तहसीलदार इस संबंध में धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगें।

उपरोक्त विवेचन से प्रमाणित है कि हस्तगत प्रकरण में वर्णित खसरा नम्बरान श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय कोटा के न्यायालय में प्रस्तुत रेफरेंस में वर्णित खसरा नम्बरान का ही भाग है जिनके संबंध में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय कोटा द्वारा अपने निर्णय में 17.06.2002 को ही निर्धारित किया हुआ है कि प्रतिवादीगण के खाते कोई सरकारी भूमि दर्ज नही हुयी है, तथा तहसीलदार लाडपुरा को निर्देषित किया गया था कि यदि कोई सरकारी भूमि कम कर प्रतिवादीगण के खाते दर्ज की गई हो तो धारा 136 के तहत कार्यवाही की जावे। हस्तगत प्रकरण में वादी तहसीलदार लाडपुरा यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि कोई राजकीय भूमि प्रतिवादीगण के खाते दर्ज की गई हो।

उक्त विवेचन के आधार पर हम वादी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित पाते है। परिणातया वादी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★ (राजस्थान)